राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 27.11.2012 को आयोजित 115वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव (आयोजना), राजस्थान सरकार श्री राकेश वर्मा, डॉ (श्रीमति) दीपाली पंत जोशी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री जीजी माम्मेन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री अनिमेष चौहान, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय से उनके उदबोधन हेतु आग्रह किया गया।

श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रसन्न्ता व्यक़्त की, कि एस.एल.बी.सी. राजस्थान एक सक्रिय मंच है तथा भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नाबार्ड व बैंकों के सहयोग से राज्य में सी.डी.रेश्यो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, कृषि क्षेत्र को ऋण व अन्य क्षेत्रों के तहत अच्छी प्रगति रही है। कुछ क्षेत्रों में ओर प्रयास करने की आवश्यकता है।

उन्होने बताया कि केन्द्र/राज्य सरकार की कुछ प्राथमिकताएँ है, जिनमें बैंकों से काफी अपेक्षाएँ है। भारत सरकार द्वारा एक बड़े कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ का "आधार" आधारित खातों के माध्यम से नकद अंतरण किया जाना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है तथा वितीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रगति की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जा रही है।

यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि प्रथम चरण में देश के चयनित 51 जिलों में से तीन जिले राजस्थान के है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि "आधार" पंजीयन से जुड़े सभी रजिस्ट्रार को सक्रिय करने हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जावे। वहीं बैंक द्वारा लाभार्थियों के खोले गए सभी खातों में सम्बन्धित लाभार्थियों के "आधार" नम्बर प्राप्त कर सिस्टम में दर्ज करने की आवश्यकता है। इन 51 जिलों में सफल क्रियान्वयन के पश्चात कार्यक्रम का विस्तार कर सभी जिलों में दिसम्बर, 2012 तक क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता से लिया जावे तथा इसकी सफलता हेतु हर सम्भव प्रयास किया जावे।

बैंकों से संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड का क्रियान्वयन हेतु अनुरोध किया गया जिसके अन्तर्गत ग्राहकों को अनेक फायदे है, वहीं बैंक को बार-बार दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अधिकांश प्रमुख बैंकों द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है, जिनसे सभी ए.टी.एम. में परिचालन किया जा सकता है।

विभिन्न जिलों में वित्त सम्भावना बढाने हेतु स्वयं सहायता समूहों के सशिक़्तकरण आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारम्भ किया गया है। राज्य में वित्त मंत्रालय द्वारा देश के पिछड़े जिलों में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के संवर्धन योजना, एम-पॉवर एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह हेतु संचालित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे है। उन्होने अनुरोध किया कि SHG के गठन व उनके बैंक लिंकेज पर विशेष ध्यान दिया जावे। उन्होने अवगत कराया कि स्वयं सहायता समूहों हेतु उप-समिति के गठन को आज के कार्यबिन्दु में सम्मिलित किया गया है।

राज्य में सभी जिलों में आर-सेटी की स्थापना हो चुकी है, किन्तु बहुत कम संस्थानों को "ए" ग्रेड प्राप्त हुआ है। अच्छी रेटिंग से संस्थानों को अनेक लाभ उपलब्ध रहते है। उन्होने प्रायोजक बैंक से अनुरोध किया कि कम रेटिंग के कारणों का मुल्यांकन कर आवश्यक सुधार के लिए प्रयास किये जावें ताकि अगली रेटिंग में राज्य की अधिक से अधिक संस्थानों को "ए" रेटिंग प्राप्त हो सके।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र वर्तमान में जिला मुख्यालय पर ही स्थित है। वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार हेतु अन्य केन्द्रों पर इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है व इस दिशा में बैंक स्तर से प्रयास किये जावें।

वित्तीय समावेशन एक महत्तवपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश में बैंको द्वारा 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव कवर कर लिया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अब 1600-2000 जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में मार्च, 2013 तक प्राथमिकता से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाई जानी है। इन गांवों में अधिक से अधिक खाते खोले जावें व बी.सी. नियुक़्त कर लेनदेन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे, जिससे बी.सी. की व्यवहारिकता सुनिश्चित की जा सके। नकद भुगतान योजना के कार्यान्वयन के साथ ही इन खातों में बड़ी संख्या में लेनदेन चालू हो जावेगा। इस प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों द्वारा "आधार" आधारित खातों के जरीये नकद अंतरण का कार्य प्रारम्भ करना अपेक्षित है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नए नए लाभार्थी जुडते रहेंगे। अतः हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी योजना का कोई लाभार्थी बैंक खाता खोलने से शेष ना रहे।

उन्होने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बढते हुए एन.पी.ए. में वसूली हेतु राज्य में अनुकूल माहौल तैयार करने में बैंकों को सहयोग व सहायता हेतु अनुरोध किया। राज्य सरकार के ऐसे सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता राज्य में कार्यरत बैंकों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में ओर अचछा प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करेगी।

अंत में उन्होने सभी सदस्यों से वित्तीय वर्ष की तिसरी तिमाही के शेष समय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय प्रयास हेतु अनुरोध किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 114 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

1. **<u>Preparation of District wise Financial Service Plan:</u>** सार्वजनिक क्षेत्र के Life व Non-life बिमा कम्पनियों द्वारा सभी 33 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है तथा विभिन्न जिलों में कार्य योजना की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।
2. **<u>Setting up Ultra Small Branch in all financial inclusion villages:</u>** अधिकांश लघु बैंकिंग सेवा केन्द्रों (USBs) की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में 6 दिवस वाली लघु बैंकिंग सेवा केन्द्रों (USBs) की स्थापना में राज्य की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। बैंकों से इस दिशा में त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।
3. **<u>One Bank Account for each family in rural as well as in urban area:</u>** अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा सभी शहरी क्षेत्र के वार्डों का आवंटन किया जा चुका है तथा खाते खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यवाही पुरे जोर-शोर से चलाई जा रही है।
4. **<u>EBT and disbursal of MGNREGS Benefits:</u>** तीन ब्लॉक में चलाए गए पॉयलेट का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पॉयलेट का विस्तार विभिन्न बैंकों के साथ 32 चयनित ब्लॉक में किया जाना है। EBT के क्रियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 26.06.2012 के अनुसार बैंकों को दिए जाने वाले चार्ज के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु चार्ज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय से चाहे गए स्पष्टीकरण के जवाब अनुसार रहेगा।

5. **Ensure achievement of targets under advances to MSE as per T.K.A. Nair Committee recommendation:** क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित Empowered Committee on MSME में सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र (MSE) के तहत प्रगति की नियमित संवीक्षा की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र (MSE) के तहत वर्तमान में काफी सुधार की आवश्यकता है।
6. **Opening of FLCs in remaining 3 districts:** सभी 33 जिलों में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) की स्थापना की जा चुकी है। हाल ही में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा एक ओर वित्तीय साक्षरता केन्द्र की चुरू में स्थापना की गई है।

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: राज्य में 30.09.2012 को कुल 5439 बैंक शाखाएँ कार्यरत्त है। वित्त वर्ष की छमाही के दौरान खोली गई 106 शाखाओं में से 89 (84%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गई। बैंक शाखाओं के अतिरिक्त सितम्बर, 2012 को राज्य में कुल 3627 ए.टी.एम. एवं 3128 बी.सी. एजेण्ट कार्यरत्त है। Common RFP के अन्तर्गत ए.टी.एम. की स्थापना के साथ तिमाही आधार में इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होगी।

जमाएँ व अग्रिम: सितम्बर, 2012 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 178587 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 156944 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि क्रमशः 17.01% एवं 17.44% रही जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि 18.06% रही। वहीं कृषि में 24.61%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 10.06%, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण में 21.16% दर्ज की गई।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): सितम्बर, 2012 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.60% रहा। जिला स्तर पर 4 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा, वहीं 25 जिलों में यह अनुपात 50%-100% के मध्य पाया गया। जबकि 4 जिलों (डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही तथा उदयपुर) में यह 50% से कम रहा। संयोजक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि डी.सी.सी. स्तर पर विभिन्न प्रयासों के बावजूद पलायन, एन.आर.आई. जमाओं में वृद्धि के सापेक्ष ऋण ग्राही क्षमता की कमी के कारण साख जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित नहीं हो सकी है। ऋण ग्राहिता बढाने हेतु बैंक व राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत सितम्बर, 2012 को वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 52% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 57%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 42%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 35% तथा

अल्पावधि कृषि ऋण के तहत 70% की उपलब्धि दर्ज की गई।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि कृषि क्षेत्र में अल्पावधि एवं सावधी ऋण का पृथक विवरण की प्रस्तुति सराहनीय है। उन्होने बैंकवार जिलेवार प्रगति को एजेण्डा में शामिल किए जाने का अनुरोध किया।

एजेण्डा क्रमांक – 3:

Opening of Brick & Mortar Branches in FI villages having population 5000 & above in under Bank Dist. & other district (Population 10000): वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अण्डरबैंक जिलों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांव तथा अन्य जिलों में 10000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सितम्बर, 2012 तक बैंक शाखाओं की स्थापना की जानी थी। राज्य में चयनित 138 केन्द्रों में से 33 केन्दों पर बैंक शाखाएँ व 11 केन्द्रों पर 6 दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र (6 day USBs) की स्थापना की गई है। संयोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि **इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** द्वारा सभी आवंटित केन्द्रों को कवर कर लिया गया है, अन्य सदस्यों से उप-समिति बैठक में उनके द्वारा सूचित किए अनुसार शेष केन्द्रों पर बैंक शाखा/6 कार्य दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र की शीघ्र स्थापना हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: FI कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्य बैंक)

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया कि भिवाड़ी को छोड़कर बैंक को आवंटित शेष सभी 13 केन्द्रों पर शाखा/6 day USBs की स्थापना की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में 6 कार्य दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में कनेक्टिविटी की स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी चाही गई। **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार अण्डरबैंक जिलों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांव तथा अन्य जिलों में 10000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंक शाखाओं/6 कार्य दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र (6 day USBs) की स्थापना के सम्बन्ध में कनेक्टिविटी की स्थिति देखी जा रही है। **महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक** द्वारा सूचित किया गया कि बैंक द्वारा जोधपुर के 8 गांवों में कनेक्टिविटी की समस्या महसूस की जा रही है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि प्रथम चरण में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने हेतु कहा गया था। अब सभी शेष रहे गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर करना है तथा बैंक रहित सभी गांवों को कवर करने हेतु रोडमेप 30.11.2012 तक तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया जाना है। सभी बैंकों द्वारा

कॉरपोरेट स्तर पर तैयार रोडमेप व वित्तीय समावेशन हेतु तय लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, कॉरपोरेट स्तर पर तैयार वित्तीय समावेशन प्लॉन व लक्ष्यों का नियंत्रक कार्यालय व शाखावार विभाजन (disaggregation) कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाना है। साथ ही बैंकों द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन लक्ष्यों की तिमाही प्रगति भी अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होने अनुरोध किया कि नकद अंतरण हेतु चयनित तीन जिलों में अग्रणी जिला अधिकारीयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है तथा कार्ड द्वारा लेनदेन किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जावे तथा बटाईदारों को नाबार्ड की सहायता से संयुक्त देयता समूह बनाकर लाभान्वित किया जावे। उन्होने अवगत करवाया कि हाल ही में उदयपुर के "रणछोड़पुरा" गांव की विजिट के दौरान किसानों द्वारा जमाबन्दी की प्रति के अभाव में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होने से उन्हे सूचित किया गया।

प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में जमाबन्दी को ऑनलाइन किया जा चुका है, जहाँ से कोई भी कम्प्यूटराइज्ड जमाबन्दी प्राप्त कर सकता है। उन्होने सभी बैक सदस्यों से अनुरोध किया कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु आयोजित किए जाने वाले कैम्प की सूचना सम्बन्धित तहसीलदार/पटवारी को दी जा सकती है अथवा इस प्रकार के कैम्पों में किसी भी कम्प्यूटर सेन्टर के जरीये जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की जा सकती है।

उन्होने यह भी अवगत करवाया कि माह जनवरी, 2013 से राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। जिनमें बैंक अधिकारी की सहभागिता से शेष रहे पात्र व इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाए। इस अभियान के दौरान कैम्प स्थल पर जमाबन्दी की उपलब्धता राज्य सरकार स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।

आधार कार्ड से जुड़े मुद्दों के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान में "आधार" पंजीयन से जुड़े कार्य का सम्पूर्ण राज्य में प्रसार नहीं हो पाया है, वहीं बैंक खातों में "आधार" नम्बर के एकीकरण (integration) हेतु बैंक सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है।

सदन को अवगत करवाया गया कि अधिकांश बैंक इस हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है तथा 15.12.2012 तक इस कार्य में सक्षम हो जावेगी। यह मुख्यतया बैंक व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बीच का मुद्दा है। मुख्य बैंकों ने IIN नम्बर प्राप्त कर लिए है। इन गांवों में आधार कार्ड की उपलब्धता के साथ आधार नम्बरों को बैंक खातों में दर्ज करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) ने अवगत करवाया कि 114वीं बैठक में एस.एल.बी.सी. राज्य संयोजक स्तर से विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका आयोजन नहीं हो सका। उन्होने सुझाव दिया कि इस बैठक का शीघ्र आयोजना किया जावे। साथ ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आधार कार्ड पंजीयन हेतु नामित बैंक तथा स्टेट रजिस्ट्रार को एकजुट कर सभी स्थानों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जावे।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि वर्तमान में अलवर, अजमेर व उदयपुर में कैम्पों का आयोजन कर वोटर लिस्ट के अनुसार बैंक खाते खोले जा रहे है तथा खोले गए खातों में उपलब्ध "आधार" नम्बर दर्ज करने का कार्य समानान्तर चलाया जा रहा है।

उन्होने बताया कि 'आधार" नम्बर के बिना राज्य के 3 ब्लॉक में MGNREGS के तहत 3 बैंकों द्वारा EBT का सफल क्रियान्वयन किया गया है। जिसका राज्य सरकार द्वारा अब 32 ब्लॉक में प्रसार किया गया है। "आधार" नम्बर के साथ यह कार्य ओर सुगमता से किया जा सकेगा।

उन्होने अवगत करवाया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हुई बैठक में वृद्धावस्था पेंशन का ट्रेजरी कार्यालय के माध्यम से भुगतान पर विस्तृत चर्चा की गई थी। विभाग द्वारा बैंक खातों एवं लाभार्थियों की मैपिंग की जानी है। इसी प्रकार 32 योजनाओं के सम्बन्धित विभागों से कैम्पों का आयोजन कर लाभार्थियों के खातों की मैपिंग का अनुरोध किया जिससे इन योजनाओं में EBT का क्रियान्वयन ओर अधिक सुगमता से किया जा सकेगा।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग व चयनित योजना से सम्बद्ध अन्य विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि नकद अन्तरण हेतु चयनित 3 जिलों की प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्रालय द्वारा विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से नियमित चर्चा की जा रही है तथा दिनांक 22.11.2012 को हुई विडियो कॉफ्रेंस में हुई चर्चा के अनुसार इन 3 जिलों में खाते खोलने की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारीयों की नियुक्ति की जा चुकी है।

Direct Transfer of Cash Subsidy for Kerosene (DTCK): पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, किन्तु उनके द्वारा लाभार्थियों के खातो की मैपिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाना लम्बित है। बैंक द्वारा सभी परिवारों के खाते खोले जा रहे है, परन्तु मैपिंग का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा ही किया जाना है।

Preparation of District Service Area Plan & uploading on District/State website: विभिन्न जिलों का सेवा क्षेत्र प्लॉन (Service Area Plan) के अपलोडिंग का कार्य किया जा चुका है। आधारभूत सूचना यथा ग्राम-पंचायत/गांवों का आवंटन, बी.सी.की.उपस्थिति व नाम, गांवों में

विजिट हेतु नामित बैंक अधिकारी की सूचना इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुछ अन्य बदलाव प्रस्तावित है, जिसे शीघ्र ही अपलोड कर दिया जावेगा।

Preparation of Comprehensive District/State Insurance Plan: सभी 33 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। बी.सी.एजेन्ट को बीमा कम्पनी द्वारा माइक्रो एजेण्ट नियुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में बीमा सेवाओं की उपलब्धता हेतु रोड़मेप तैयार करने हेतु बीमा कम्पनियों तथा अग्रणी जिला प्रबन्धकों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि बीमा कम्पनियों द्वारा विभिन्न जिलों में बीमा सेवा उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना यथा कवर किए जाने वाले परिवारों की संख्या, उपलब्ध करवाये जाने वाले विभिन्न उत्पाद के द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी परिवारों को कवर करने में लिए रोड़मेप तैयार किया जाना है। अतः इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब उचित नही है तथा शीघ्रातिशीघ्र जिलेवार रोड़मेप बनाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं नाबार्ड)

Uploading of GIS data: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक जानकारी अपलोड की जा चुकी है। कुछ सूचनाएँ यथा गांवों में नियुक्त बी.सी./विजिट हेतु नामित बैंक अधिकारी का नाम, पता, मोबाईल नम्बर इत्यादि में अक्सर बदलाव हो रहे है, जिनकों मासिक आधार पर अद्यतन करने हेतु सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देशित किया गया है।

Preparation of Banking Coverage Plan for all villages: संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य हेतु विभिन्न सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य हेतु तैयार Tentative रोड़मेप सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया है जो कि एजेण्डा का भाग है। 3 बैंक (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, अपैक्स कॉपरेटिव बैंक तथा ING Vysya बैंक) द्वारा आवश्यक सूचना प्राप्त होना लम्बित है।

Tentative रोड़मेप के अनुसार वर्तमान में 5920 गांव कवर किए जा चुके है, 2568 गांवों को मार्च 2013 तक कवर किया जावेगा तथा शेष गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाना प्रस्तावित है। एस.एल.बी.सी. स्तर पर विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्लॉन/रोड़मेप मे सेवा क्षेत्र के गांवों की संख्या/कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या में अनियमितता पाई गई है। Tentative रोड़मेप में लगभग 4191 गांवों का अन्तर है। सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि Tentative रोड़मेप में दर्शाई गई सूचना का प्रत्येक बैंक द्वारा पुनः सत्यापन किया जावे। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, अपैक्स कॉपरेटिव बैंक तथा ING Vysya बैंक से आवश्यक सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध

करवाने का आग्रह किया गया।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि इस सूचना को अग्रणी जिला प्रबन्धकों को परिचालित कर Tentative रोड़मेप का डी.सी.सी. से 30.11.2012 तक अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाएगा तथा जिला स्तर से प्राप्त अनुमोदित रोड़मेप भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जावेगा।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं डी.सी.सी.संयोजक बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक सदस्यों से आग्रह किया कि भारतीय रिजर्व बैंक को रोडमेप प्रस्तुत करने से पूर्व बैंकवार सूचना का भली भांति जांच/सत्यापन कर लिया जावे, क्योंकि एक बार भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम सूचना/रोडमेप प्रस्तुत करने के पश्चात दी गई सूचना अभिलिखित/दर्ज हो जाती है जिसमें किसी प्रकार के बदलाव की सम्भावना नहीं रहेगी।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बैठक में Tentative रोड़मेप के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों की सहमति उपरान्त सदन द्वारा Tentative रोड़मेप अनुमोदित किया गया।

Extension of Swabhiman: सदन को अवगत करवाया गया कि 1600-2000 जनसंख्या वाले चयनित 2292 गांवों के साथ वित्तीय समावेशन के तहत कुल 6175 (3883+2292) गांव कवर किये जाने है तथा अक़्टूबर, 2012 तक 63 बैंक शाखा व बी.सी./USBs के माध्यम से कुल 3972 गांवों को कवर किया जा चुका है। इसके अतिरिक़्त 2464 छोटे गांवों (1600 से कम जनसंख्या वाले) को भी कवर किया जा चुका है। चयनित गांवों में कुल 12.62 लाख नामांकन किए जा गए है तथा लगभग 5.00 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके है। नियुक़्त 3128 बी.सी.एजेण्ट की नियुक़्ति कर खोले गए खातों में 248336 ट्रांजेक़्शन किए जा चुके है।

वर्तमान में छुटे गांवों में भी लगभग 4.00 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके है। राज्य में अब स्मार्ट कार्ड खाते खोलने की प्रक्रिया में गति के साथ ही स्मार्ट कार्ड जारी करने की कार्यवाही में अब तेजी लाई जानी है ताकि खोले गए खातों एवं जारी स्मार्ट कार्ड के बीच के अन्तर को कम किया जा सके।

Opening of Clearing House at centers which have 3 or more Bank Branches: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार 3 या अधिक बैंक शाखाओं वाले चिन्हित 229 केन्द्रों पर क्लियरिंग हाऊस की स्थापना की जानी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 65 केन्द्रों, जहाँ 5 या अधिक बैंक शाखाएँ कार्यरत्त है, पर क्लियरिंग हाऊस की स्थापना हेतु निर्देशित किया है। अब तक 14 केन्द्रों पर क्लियरिंग हाऊस की स्थापना की जा चुकी है। अन्य स्वीकृत केन्द्रों पर 31.12.2012 तक क्लियरिंग हाऊस की स्थापना सुनिश्चिति हेतु सम्बन्धित बैंकों से अनुरोध किया गया।

Common RFP for Business Correspondent Services: कॉमन बी.सी. सेवाएं के तहत चयनित M/s Vakrangee Finserve Ltd. के साथ 28 में से 24 बैंकों ने अनुबन्ध कर लिया है। चयनित सेवा प्रदाता को अलवर जिले में पॉयलेट आधार पर कार्य चालू किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

Urban Financial Inclusion – Launch of campaign to ensure at least one bank account for each family: शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे खातों में करने हेतु सभी 33 जिलों के निकायों में वार्ड के आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। सम्बन्धित बैंक शाखाओं को जनगणना आंकड़े/वोटर लिस्ट के माध्यम से सभी परिवारों के खाते खोलने हेतु आवश्यक सूचना/परिपत्र जारी किए गए है। बैंकों को इस विषय में आवश्यक कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अनुरोध किया गया कि इस अभियान के तहत सेवा क्षेत्र गांवों/आवंटित वार्ड के अनुसार प्रगति का समेकन किए जाने हेतु सभी जिला संयोजक को निर्देशित किया जावे।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

उन्होने अवगत करवाया कि शहरी क्षेत्र में हालांकि सभी परिवारों के बैंक खाते खोले जा रहे है, किन्तु विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की मैपिंग के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल है कि किस परिवार को किस योजना/ओं के तहत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परिवारों (Household) की सूची के अभाव में शाखा स्तर पर परेशानी महसूस की जा रही है।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना ने अवगत करवाया कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लाभार्थीयों से घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे जिसमें लाभार्थी द्वारा खातों की सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उन्होने बताया कि विभिन्न जिलों में प्रत्येक वर्ष एक आर्थिक सर्वे किया जाता है जिसमें सभी परिवारों (Household) की सूचना उपलब्ध रहती है। शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना स्थानिय/जिला निकाय से तथा ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्य सूचना जिला परिषद से प्राप्त की जा सकती है।

Unique Identification Authority of India (UIDAI): सदन को सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में पृथक रूप से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जारी दिशा निर्देशानुसार रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन कार्यक्रम का सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन करवाया जाना है। आधार ब्रिज पेमेंट की प्रारम्भिक तैयारी जैसे आई.टी. से जुड़े मुद्दे, IIN नम्बर प्राप्ति इत्यादि अधिकांश बैंकों द्वारा अपने स्तर पर की जा चुकी है/की जा रही है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड/नम्बर जारी करने की कार्यवाही का समुचित विस्तार की आवश्यकता है।

सदन को अवगत करवाया गया कि वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार ए.टी.एम./ Cash Dispenser स्थापित करने हेतु M/s Mphasis Ltd. का चयन किया गया है व बैंकों द्वारा मार्च-2014 तक 3242 सी.डी. (Cash Dispenser) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पॉयलेट हेतु अजमेर जिले का चयन किया गया है व M/s Mphasis Ltd. द्वारा स्थापित सी.डी. (Cash Dispenser) का टेस्ट Run सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 4:</u>

Agriculture Credit Flow: कृषि क्षेत्र के तहत सितम्बर, 2012 को वर्ष दर वर्ष (YoY) वृद्धि 24.63% रही, जिसमें से सावधि कृषि ऋण के तहत वृद्धि 2.42% तथा अल्पावधि कृषि ऋण के तहत यह वृद्धि 35.58% रही। वित्त वर्ष के दौरान प्रथम छमाही में 11.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जो विगत वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कुल कार्ड के समान है तथा योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 84.60 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके है। सितम्बर, 2012 को राज्य में कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 64.71 लाख रही।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि कृषि सावधि ऋण में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण हेतु जारी संशोधित निर्देश के क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होगा।

वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत प्रगति अच्छी है, सभी बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चिति हेतु प्रयास किया जा रहा है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने आग्रह किया कि किसानों को कृषि भूमि के पट्टे की आसान उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि सभी किसानों को पट्टे जारी किए जा चुके है। अब राज्य सरकार के वर्तमान आदेशानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही 7 कार्य दिवस में सुनिश्चिति की जानी है। इस कार्यवाही में इससे अधिक समय लगने की स्थिति में जिला कलेक्टर को तत्काल सूचित किया जावे। इस मामले में बैंक शाखाओं को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्यों से संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ सभी किसानों को डेबिट कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता व सुविधा के अनुसार किसी भी ए.टी.एम. के जरीये राशि ली जा सके। साथ ही यह कार्यवाही आगे चल कर राज्य में कॉमन सी.डी. (Cash Dispenser) के तहत स्थापित किए जाने वाले ए.टी.एम. की व्यवहारिकता में भी सहयोगी रहेगा।

सदन को अवगत करवाया कि फसल बीमा कम्पनियों द्वारा कुछ प्रकरणों में एक ही जमाबन्दी पर एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने से सूचित किया गया है, जिससे इन प्रकरणों में बीमा क़्लेम जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए बैंक का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजस्व विभाग के आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बैंक का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के पश्चात किसानों से जमाबन्दी की नकल की मांग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा कॉपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों द्वारा रूपये 1.00 लाख तक के फसल ऋण के समय पर भुगतान के लिए 4% ब्याज का अतिरिक़्त अनुदान/सहायता दी जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़े किसानों को कॉपरेटिव बैंक से भी के.सी.सी. सुविधा प्राप्त कर ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इससे जहाँ के.सी.सी. में Multiplicity के साथ-साथ किसानों में ऋणग्रस्तता बढेगी तथा वसूली में परेशानी आएगी। उन्होने प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) से इस योजना का विस्तार वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़े किसानों के लिए भी लागू किए जाने का अनुरोध किया।

Crop Insurance: रबी-2012 मौसम हेतु फसल बीमा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त होना लम्बित है।

Scheme for disbursement of loan to eligible farmers /farmer entrepreneurs on establishment of processing units by GoR: माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 2012-13 अनुसार पात्र किसानों/कृषक उद्यमीयों के लिए उद्यानिकी व अन्य फसलों के प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान सहायता योजना उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है जिसके तहत रूपये 20 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत पूंजीगत लागत का 50% अथवा रूपये 1.00 करोड़ (जो भी कम हो) तक का अनुदान उपलब्ध रहेगा।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया कि विभाग से प्राप्त विस्तृत योजना आज ही प्राप्त हुई, जिसे बैठक में सभी सदस्यों को परिचालित किया गया है। उन्होने योजना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि योजना के अप्राप्त रहने के कारण अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नही है। उन्होने विश्वास जताया कि सभी बैंक सद्स्यों की योजना के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेगी। सभी सदस्य बैंकों से योजना के क्रियान्विति हेतु अनुरोध किया गया तथा इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सुझाव/संशोधन से एस.एल.बी.सी. को सूचित करने का आग्रह किया।

Time bound implementation plan to give impetus to flow of credit to rural areas: सदन को सूचित किया गया कि इस हेतु मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया जा चुका है। उप समिति द्वारा राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी के ऑनलाइन प्रभार दर्ज करने की प्रक्रिया तथा बैंकिंग सिस्टम को कम्प्यूटराइज्ड राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ने की कार्यवाही शीघ्र करने का सुझाव दिया गया। साथ ही कृषि विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में नाबार्ड व एल.डी.एम के साथ Area Specific योजनाओं का चयन किया जावे।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सूचित किया कि वर्तमान में कम्पोजिट के.सी.सी. की गणना के समय सावधि ऋण भी सम्मिलित किया जाता है। उन्होने अनुरोध किया कि फसल ऋण के तहत उपलब्ध ब्याज अनुदान योजना के तहत यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ब्याज अनुदान सिर्फ फसल ऋण हेतु ही क्लेम किया जावे। उन्होने अवगत करवाया कि किसानों को चारा उगाने हेतु भी ऋण सुविधा मुहैया करवाई जावे। अधिकांश जिलों में चारे की फसल हेतु वित्त-मान निर्धारित कर लिया गया है।

उन्होने बताया कि जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी की जनवरी में बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आगामी फसल/मौसम हेतु विभिन्न फसलों हेतु नया वित्त-मान निर्धारित किया जाना है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:</u>

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY): NRLM के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान SGSY योजना के क्रियान्वयन के निर्णय से जुलाई माह में सूचित किया गया था तथा अगस्त माह में लक्ष्य आवंटित किये गये थे। जिसके मद्देनजर योजना के तहत सितम्बर, 2012 तक की प्रगति 21.63% रही।

सदन को अवगत करवाया कि SGSY योजना के तहत प्रत्येक वर्ष राज्य में लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि रही है तथा चालू वर्ष में आवंटित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जावेंगे। उन्होने नोडल विभाग से

पर्याप्त आवेदन पत्रों के प्रायोजन हेतु अनुरोध किया।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): सदन को सूचित किया गया कि योजना के तहत लक्ष्यों का आवंटन में देरी रही। संयोजक द्वारा सभी सदस्य बैंकों से उप-समिति बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण दिसम्बर-2012 तक सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

नोडल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा ओर आवेदन पत्रों का प्रायोजन किया गया है। विभाग द्वारा प्रत्येक शाखा को आवंटित लक्ष्य का 150% आवेदन पत्र प्रायोजित किए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। उन्होने सदन को अवगत करवाया कि योजना के तहत अब तक की प्रगति के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 0.51 लाख का ऋण वितरण किया है, जबकि संशोधित योजना के अनुसार 2.00 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार कम वित्त सहायता की स्थिति से विभिन्न परियोजना की व्यवहारिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा खातों में नियमित वसूली की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही विभाग को आवंटित अनुदान के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों को संशोधित योजना के तहत आवश्यक राशि स्वीकृत व वितरित किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया तथा डी.सी.सी. संयोजक बैंक प्रतिनिधियों से इस बाबत सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों से चर्चा कर आवश्यक मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) द्वारा सूचित किया गया कि यह भारत सरकार की प्रमुख योजना है, प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर, 2012 तक बैंक शाखाओं को अग्रेषित 2825 आवेदन पत्रों में से 137 आवेदन पत्रों पर ही स्वीकृतियाँ जारी की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य लघु उद्यम स्थापित किया जाना है अतः इस योजना में अलग से प्रयास की आवश्यकता है।

राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अवगत करवाया कि योजना के परिचालन की सूचना जून माह के अंत में प्राप्त हुई थी। विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा 67 करोड़ मार्जिन मनी लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 60 करोड़ मार्जिन मनी राशि के आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए तथा 59 करोड़ मार्जिन मनी राशि के आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रायोजित किए गए है। बैंक शाखाओं द्वारा अबतक रूपये 5 करोड़ मार्जिन मनी के आवेदन पत्रों में स्वीकृतियॉ जारी की जा चुकी है। योजना के तहत प्राप्त अब तक की प्रगति नोडल विभाग के अनुसार सही है तथा बैंक सदस्यों से शेष आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण का आग्रह किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंक सदस्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 31.12.2012 तक सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही योजना के तहत 41% NPA स्तर पर चिन्ता व्यक़्त की गई।

प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) द्वारा स्पष्ट किया गया कि **PMEGP** भारत सरकार की प्रमुख योजना है। योजना का उद्देश्य एक परिवार को रोजगार से जोड़ना नहीं है अपितु इस योजना का उद्देश्य माइक्रो/लघु उद्यम की स्थापना है, जिससे अनेक परिवार रोजगार से जुड़ेंगे तथा इस योजना की सफलता हेतु सभी स्तर से हर सम्भव प्रयास किया जावे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि शाखाओं को आवेदन पत्र प्राप्ति के साथ ही व्यवहारिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया जावे तथा सेवा क्षेत्र में पात्र गतिविधियों/आवेदकों के आवेदन पत्र नोडल विभाग को प्रायोजित कर अग्रेषित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जावे।

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड (ACC): नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि योजना के तहत पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध है। सभी बैंक प्रतिनिधियों से शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य में कुछ ही बैंक सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना में सहभागिता की जा रही है। उन्होने सभी बैंक सदस्यों से योजना में सहभागिता कर राज्य में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने का नुरोध किया।

बुनकर क्रेडिट कार्ड (WCC): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि योजना के तहत 1000 कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक बैंक शाखाओं द्वारा 150 प्रकरणों में स्वीकृतियाँ जारी कर 111 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जा चुका है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना की नियमित सर्वीक्षा भारत सरकार द्वारा की जा रही है तथा योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किया जावे।

हथकरघा क्षेत्र के पुनरूत्थान, सुधार एवं पुनर्गठन (Revival, Reform & Restructuring) योजना के तहत व्यक़्तिगत लाभार्थीयों को रूपये 50000/- तक की सीमा के ऋण माफी योजना के तहत राज्य में कुल 216 प्रकरण (रूपये 2378649/-) प्राप्त हुए है। उन्होने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि योजना के तहत कोई पात्र बुनकर शेष रहा है तो उससे 30.11.2012 तक नाबार्ड

को सूचित किया जावे जिससे योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके।

Micro, small and Medium Enterprises (MSME): सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में किसी भी बैंक द्वारा टी.के.ए. नायर कमेटी द्वारा निर्धारित सभी बैंचमार्क की प्राप्ति नहीं की जा सकी। सभी सदस्य बैंक से स्व-निर्धारित लक्ष्यों तथा टी.के.ए. नायर कमेटी द्वारा निर्धारित बैंचमार्क की प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया गया कि MSME हेतु गठित टी.के.ए. नायर कमेटी द्वारा निर्धारित बैंचमार्क की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जावें, जिससे राज्य में रोजगार का सृजन किया जा सके। साथ ही नई ईकाइयों के साथ-साथ रूग्ण ईकाइयों (Sick Unit) के पुनर्वास हेतु जोर दिया गया।

Special Central Assistance Scheme for SC/ST: योजना के तहत सितम्बर, 2012 तक की प्रगति 10% रही। **नोडल विभाग के प्रतिनिधि** द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा लगभग 41500 आवेदन पत्रों का प्रायोजन किया जा चुका है, किन्तु बैंक शाखाओं द्वारा अब तक मात्र 4917 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। उन्होने सदन को अवगत करवाया कि विभाग द्वारा 14 जिलों से मासिक प्रगति जिला नोडल अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त की गई है। साथ ही बैंक शाखाओं स्तर पर लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र अग्रेषित किए जाने का अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा विभिन्न जिलों से संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त प्रगति की प्रति एस.एल.बी.सी. को भी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया।

प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) द्वारा बताया गया कि सभी जिला कलेक्टर को विभिन्न योजनाओं के तहत पर्याप्त आवेदन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है, साथ ही जिलों में प्रायोजित आवेदन पत्रों की सूचना अग्रणी जिला प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही प्राप्त की जावे।

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि हाल ही में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से हुई विडियो कॉन्फ्रेंस में विस्तृत चर्चा की गई जिसके दौरान नाबार्ड द्वारा 25000 समूहों के क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य निर्धारित करने से सूचित किया गया था। सितम्बर, 2012 तक राज्य में कुल 11500 स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है।

भारत के पिछड़े जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन की योजना प्रारम्भिक चरण में है। राज्य सरकार द्वारा NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह की मॉनिटरिंग हेतु स्टेट मिशन डॉयरेक्टर नियुक्त किया गया है।

इस प्रकार राज्य में स्वयं सहायता समूह हेतु वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ मे पारस्परिक समन्वय स्थापित करने तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दो पर चर्चा हेतु 10.09.2012 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत गठित समूहों का "साख दर्पन" पोर्टल पर पंजीयन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से हुई चर्चा (विडियो कॉन्फ्रेंस) के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन एवं मॉनिटरिंग हेतु एक उप-समिति का गठन किया जाना है, जिसमें सचिव (ग्रामीण विकास विभाग), स्टेट मिशन डॉयरेक्टर (RGAVP, ग्रामीण विकास विभाग), सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मुख्य महाप्रबन्धक (नाबार्ड), सभी डी.सी.सी. संयोजक बैंक के राज्य नियंत्रक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य सम्मिलित किए जाए।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन में उप-समिति के औपचारिक रूप से गठन का प्रस्ताव रखा गया तथा उप-समिति की प्रथम बैठक दिसम्बर के द्वितीय पखवाड़े में प्रस्तावित किए जाने से सूचित किया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत करवाया कि पिछड़े जिलों में संचालित महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम के तहत डी.सी.सी. द्वारा चयनित NGOs से अभी भी कुछ प्रमुख बैंक द्वारा ही अनुबन्ध (MoU) किया गया है। उन्होने सभी सदस्यों से चयनित जिलों में NGOs से अनुबन्ध (MoU) करने का अनुरोध किया, जिससे सम्पूर्ण ब्लॉक को संतृप्त किया जा सके।

प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा field स्तर पर कार्य करने वाले सभी NGOs को राज्य सरकार द्वारा मान्यता (Accreditation) प्राप्त करनी होगी। इस हेतु सरकार द्वारा स्वैच्छिक केन्द्र स्थापित किए गए है, जहाँ से NGOs द्वारा मान्यता (Accreditation) प्राप्त की जा सकती है। उन्होने बताया विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त NGOs को ही प्रयुक्त किया जावे।

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि सितम्बर तिमाही के दौरान 23 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक में रूपये 204 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए। राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का स्तर मार्च 2012 को

5.72% था, जो सितम्बर 2012 को 6.12% हो गया। वहीं चयनित 23 ब्लॉक में मार्च, 2012 के स्तर 32.90% से सितम्बर, 2012 को 34.55 % हो गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु ब्याज अनुदान योजना का संशोधित विवरण उपलब्ध करवाने हेतु नोडल विभाग से अनुरोध किया। नोडल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा शीघ्र ही योजना के विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए जाने से सूचित किया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य से सभी 33 जिलों में 35 आर-सेटी की स्थापना की जा चुकी है। सेटलमेन्ट लगभग 70% रहा है। राज्य में स्थापित आर-सेटी की मॉनिटरिंग हेतु एस.एल.बी.सी. की उप-समिति का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा राज्य समन्वयक की नियुक्ति की गई है, जिसके द्वारा सभी आर-सेटी संस्थानों की नियमित विजिट की जा रही है।

उन्होने सदस्यों को अवगत करवाया कि राज्य में स्थापित अधिकांश आर-सेटी संस्थानों की रेटिंग बहुत कम है तथा इसके सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि आर-सेटी संस्थान को दी जाने वाली सहायता उसकी रेटिंग के अनुसार तय की जाती है। वर्तमान में नाबार्ड द्वारा सिर्फ "ए" रेटिंग वाले संस्थानों को ही सहायता दी जा रही है।

सदन को अवगत करवाया गया कि आर-सेटी संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्तियों के ऋण आवेदन किसी भी बैंक को प्रायोजित किया जा सकता है। इस हेतु सभी संस्थानों के निदेशकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावे। साथ ही इन संस्थानों के भवन निर्माण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जावे।

Financial Literacy Centers (FLCs): राज्य के सभी 33 जिलों में एफ.एल.सी.सी. की स्थापना की जा चुकी है। हाल ही में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा Financial Literacy Center (FLCs) की स्थापना की गई है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि जयपुर थार ग्रामीण बैंक तथा एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक द्वारा भी हाल ही में 1-1 Financial Literacy Center (FLC) की स्थापना की गई है।

सदन को अवगत करवाया गया कि दिनांक 05.09.2012 को आयोजित वित्तीय समावेशन उप-समिति बैठक के दौरान नाबार्ड द्वारा वॉल पेन्टिंग, वित्तीय साक्षरता से सम्बन्धित कॉमन पैम्पलेट/ब्रॉसर/पोस्टर, एफ.एम./रेडियों पर प्रसारण, स्कूलों में वित्तीय साक्षरता अभियान इत्यादि के माध्यम से राज्य में वित्तीय साक्षरता के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु पहल की जा रही है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्तीय साक्षरता के इस राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत लगभग 5.24 करोड़ का अनुमानित खर्च है, जिसमें नाबार्ड द्वारा रूपये 3.65 करोड़ के खर्च का वहन किया जाएगा। इस विस्तृत अभियान के दौरान जिले में स्थापित FLCs नोडल केन्द्र रहेंगे। अभियान हेतु कॉमन वॉल पेन्टिंग/पैम्पलेट/ब्रॉसर/पोस्टर इत्यादि का प्रारूप नाबार्ड द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि सभी स्कूलों में अध्यापक तथा विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के तहत बचत के महत्तव, बैंक खाते की आवश्यकता तथा बैंक शाखाओं से मिलनें वाली विभिन्न सुविधाओं इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार के निर्देशों से भारतीय बैंक संघ द्वारा अवगत करवाया गया है। उन्होने सभी बैंक सदस्यों से सेवा क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता कैम्पों के आयोजन हेतु अनुरोध किया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>: संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य में योजना के तहत अच्छी प्रगति है। उन्होने बताया कि वर्तमान में योजना के तहत गारंटी फीस का निर्धारण बकाया शेष पर ना होकर ऋण सीमा के अनुसार किया जाता है, जिसके कारण ग्राहक द्वारा योजना के तहत कवर प्राप्त करने में रूचि कम रहती है तथा योजना के तहत गारंटी क्लेम करने से पूर्व मुकदमा दर्ज करवाना अनिवार्य होने के कारण योजना के सुचारू क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: सदन को अवगत करवाया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए शिक्षा ऋण के तहत 65685 बकाया खातों में रूपये 1475 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान लगभग 14000 खातों में रूपये 189 करोड़ के शिक्षा ऋण वितरण के साथ सितम्बर, 2012 को राज्य में लगभग 62000 शिक्षा ऋण खातों मे रूपये 1377 करोड़ बकाया शेष रहा। सभी सदस्यों के सहयोग से यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9: Interest Subsidy Scheme for Housing Urban Poor (ISHUP):</u>

सदन को अवगत करवाया गया कि नोडल विभाग के सुझाव अनुसार 19.11.2012 को ISHUP योजना के तहत ऋण वितरण कैम्प का आयोजन किया गया किन्तु कैम्प के दौरान आवेदकों की सहभागिता आशानुरूप नहीं रही। वहीं कैम्प में उपस्थित 22 आवेदनकर्ताओं में से मात्र 2

आवेदकों द्वारा मार्जिन मनी जमा करवाई गई। जिससे कैम्प के दौरान ऋण वितरण की कार्यवाही बाधित हुई है। योजना से जुड़े सभी बैंक सदस्यों से योजना के तहत आवश्यक प्रगति हेतु सम्बन्धित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

नोडल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 19.11.2012 को आयोजित कैम्प हेतु सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही सदन को अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा TPA के निष्पादन व लाभार्थियों को मार्जिन मनी जमा करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उन्होने अन्य बैंकों से भी ISHUP योजना के तहत ऋण वितरण कैम्प आयोजन हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा नोडल विभाग से अनुरोध किया कि प्रथम चरण में उन सभी प्रकरणों में, जहाँ TPA का निष्पादन किया जा चुका है, ऐसे प्रकरणों में मार्जिन मनी जमा करवाने हेतु प्रयास किया जावे है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11: SLBC Website:</u> संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंक सदस्यों से तिमाही समाप्ति के 15 कार्य दिवस में आवश्यक सूचना/आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का अनुरोध किया गया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की 115वीं बैठक

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
संयोजक बैंक			
1	श्री पी. श्रीनिवास	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2	श्री अनिमेष चौहान	संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय रिजर्व बैंक			
1	डॉ. (श्रीमति) दिपाली पंत जोशी	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री एच.एन. अय्यर	महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
3	श्री एस.पी.वर्मा	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
नाबार्ड			
1	श्री जीजी माम्मेन	मुख्य महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री एस.एस. सिंह	महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि			
1	श्री राकेश वर्मा	प्रमुख शासन सचिव	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
2	श्री अनिल कुमार	निदेशक	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
3	श्री वाई.एन.मल्होत्रा	उप-सचिव (संस्थागत वित्त)	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
4	श्री एस.आर.कटेवा	परियोजना निदेशक (एस.जे.एस.आर.वाई.)	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार
5	श्री एल.सी.जैन	अतिरिक्त निदेशक	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
6	श्री एम.एल.सालोदिया	अतिरिक्त निदेशक	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
7	श्री वी.के.दाधीच	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड

8	श्री एम.के.कुमावत	उप निदेशक	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
9	श्री सुभाष दनोदिया	FA & CAO	खादी बोर्ड
10	श्री वेद सिंह	निदेशक (उद्यानिकी)	उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार
11	श्री के.बी.शर्मा	संयुक्त निदेशक (उद्यानिकी)	उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार
12	श्री राजेश चौहान	उप निदेशक	स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
13	श्रीमति शीला चौधरी	उप निदेशक	एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान
14	श्री कुलदीप भारद्वाज	सहायक निदेशक (ओ.एस.)	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
15	श्री आर.सी.अग्रवाल	परियोजना अधिकारी	ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार
16	श्री एस.पी.राठी	परियोजना अधिकारी	महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
17	श्री महेश सागर	नोडल अधिकारी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
18	श्री नलिन मुदगल	परियोजना अधिकारी	महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
19	श्रीमति अंजु गोयल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
20	श्री एस.एस.दाधीच	लेखा अधिकारी	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
21	श्री आर.ए.शर्मा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
22	श्री मोहम्मद सलीम	प्रबन्धक	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम
23	श्री रणवीर सिंह	सांख्यिकी अधिकारी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि			
1	श्री सुन्दर सिंह नेगी	महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2	श्री एस.के.मदान	महाप्रबन्धक	पंजाब नेशानल बैंक
3	श्री आर.आर.शर्मा	महाप्रबन्धक	केनरा बैंक
4	श्री एस.पी.सिंह	उप महाप्रबन्धक	युको बैंक

5	डॉ. एम.एस.फोगाट	अध्यक्ष	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
6	श्री समीर वाजपेयी	अध्यक्ष	राजस्थान ग्रामीण बैंक
7	श्री यू.सी.अग्रवाल	अध्यक्ष	मेवाड़ आँचलिक ग्रामीण बैंक
8	श्री संजय मलिक	अध्यक्ष	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9	श्री सुधीर ठाकोर	अध्यक्ष	एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक
10	श्री जे.के.पात्रा	अध्यक्ष	जयपुर थार ग्रामीण बैंक
11	श्री एस.पी.हरिताश	उप महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
12	श्री शम्मी कपलश	उप महाप्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
13	श्री नवलीन कुन्द्रा	उप महाप्रबन्धक	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
14	श्री एस.एस.शेट्टी	उप महाप्रबन्धक	विजया बैंक
15	श्री पी.आर.मुर्ती	उप महाप्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक
16	श्री के.एल.मेहता	उप महाप्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
17	श्री आर.के.पुरी	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक
18	श्री प्रवीण कुमार	सहायक महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
19	श्री अरूण जैन	सहायक महाप्रबन्धक	आई.डी.बी.आई. बैंक
20	श्री माधो राम	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
21	श्री के.राममोहन	सहायक महाप्रबन्धक	आन्ध्रा बैंक
22	श्री एन.के.जैन	सहायक महाप्रबन्धक	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
23	श्री अजय कुमार	सहायक महाप्रबन्धक	इंडियन बैंक
24	श्री पी.के.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	भारतीय स्टेट बैंक
25	श्री एम.एल.शर्मा	महाप्रबन्धक	राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक
26	श्री जी.जे.राव	मुख्य प्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
27	श्री डी.श्रीनिवास राव	मुख्य प्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
28	श्री सुभाष कुरूप	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र

29	श्री सत्येन मोदी	सर्किल हैड	एच.डी.एफ.सी. बैंक
30	श्री पी.के.गर्ग	मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक	इंडियन ऑवरसीज बैंक
31	श्री पी.के.शर्मा	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ इंडिया
32	श्री बी.सी. जैन	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
33	श्री के.आर.मीणा	वरिष्ठ प्रबन्धक	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
34	श्री अनिल कासलीवाल	वरिष्ठ प्रबन्धक	पंजाब नेशनल बैंक
35	सुश्री पारूल शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक	एच.डी.एफ.सी. बैंक
36	श्री डी.के.सोनी	वरिष्ठ प्रबन्धक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
37	श्री सन्दीप कुमार	एग्री बिजनेस हेड	एक्सिस बैंक
38	श्री आर.मेहरोत्रा	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
39	श्री राहुल दुबे	वरिष्ठ प्रबन्धक	इंडियन ऑवरसीज बैंक
40	श्री तन्मय	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक	ING Vysya बैंक
41	श्री जैटन टी.ए.	वरिष्ठ प्रबन्धक	कैथोलिक सिरियन बैंक
42	श्री अमित जैन	प्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
43	श्री अमित कुमार राठी	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
44	श्री विनोद एम.	मुख्य प्रबन्धक	फैडरल बैंक
45	श्री किशोरी लाल	प्रबन्धक	ऑरियण्टल इंश्योरेंस क. लिमिटेड
46	श्री कैलाश सेवकानी	एरिया बिजनेस मेनेजर	ING Vysya बैंक
47	सुश्री फेनिशा सराफ्	सहायक प्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
48	श्री हरिन्दर सिंह	अधिकारी	पंजाब एण्ड सिध बैंक
49	श्री अनिल कुमार	सलाहकार	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी
50	श्री अजय सिंघल	क्षेत्रीय प्रबन्धक	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी
51	श्री राजेन्द्र शर्मा	शाखा प्रबन्धक	भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर